न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-02/2011/टोंक (2011/00008)

1. बद्री पुत्र छीतर,
2. लाडा पुत्री छीतर,
3. बदरिया पुत्री छीतर,
4. नन्दू बेवा छीतर,
5. रामरतन पुत्र काना,
   जाति जाट, निवासी दतोब, तह0 टोडारायसिंह, जिला टोंक ।

अपीलांट्स

बनाम

1. नन्दू बेवा रामनारायण,
2. श्रवणी पुत्री रामनारायण,
3. छोगा पुत्र जगन्नाथ,
4. केसर बेवा लक्ष्मण,
5. रामेश्वर पुत्र लक्ष्मण,
6. प्रधान पुत्र लक्ष्मण,
7. मुकेश पुत्र लक्ष्मण,
8. गीता पुत्री लक्ष्मण,
9. रूकमा पुत्री लक्ष्मण,
10. हगामा पुत्री जगन्नाथ,
11. भूरी पुत्री जगन्नाथ,
12. गोपाल पुत्र जगदीश,
    जाति जाट, निवासी दतोब, तह0 टोडारायसिंह, जिला टोंक ।
13. मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा, केकड़ी जिला अजमेर।
14. तहसीलदार/उप पंजीयक, टोडारायसिंह ।

रेस्पोर्डेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक दिनांक 23.12.2010 अंतर्गत प्रकरण संख्या 26/2010.

उपस्थितः-

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 14 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 25.1.2018

अपीलांट्स ने यह अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.12.2010 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक के समक्ष अपील इस आशय की पेश की गई कि खाता संख्या 218 कुल किता 42 रकबा 9.72 है0 वाके ग्राम दतोब, तहसील टोडारायसिंह के संबंध में तहसीलदार, टोडारायसिंह ने नामांतकरण संख्या 435 दिनांक 11.5.2009 को स्वीकार किया है जो विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक ने अपने आदेश दिनांक 23.12.2010 द्वारा उक्त नामांतकरण संख्या 435 दिनांक 11.5.2009 को अपास्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट्स के उपस्थित होने एवं अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि नामांतकरण संख्या 435 दिनांक 11.5.2009 तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.7.2008 की पालना में खोला गया है जिसे निरस्त करने के आदेश प्रदान कर अधी0न्याया0 ने कानूनी भूल की है । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के समक्ष निर्णय व डिक्री दिनांक 14. 7.2008 के विरूद्ध अपील की गई तथा नामांतकरण संख्या 435 खोले जाने की दिनांक को राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा पारित स्थगन आदेश की तारीख आगे नहीं बढ़ने के कारण प्रभाव में नहीं था किन्तु अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने नामांतकरण संख्या 435 दिनांक 11.5.2009 के विरूद्ध अधी0न्याया0 में मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई थी किन्तु अधी0न्याया0 ने मियाद के बिन्दु को निर्णित किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक का निर्णय दिनांक 23.12.2010 निरस्त किया जाकर तहसीलदार, टोडारायसिंह द्वारा

तस्दीकशुदा नामांतकरण संख्या 435 दिनांक 11.5.2009 यथावत् रखे जाने के आदेश प्रदान करावें । xx

4- विद्वान वकील रेस्पोडेंटस संख्या 1 व 2 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । तहसीलदार ने उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के निर्णय व डिक्री की पालना में नामांतकरण संख्या 435 तस्दीक किया है किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था तथा स्थगन की जानकारी तहसीलदार को थी इसके बावजूद तहसीलदार ने नामांतकरण संख्या 435 तस्दीक करने में त्रुटि कारित की थी । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि यदि अंतरिम स्थगन आदेश नहीं बढ़ा है, ओर यदि अपील विचाराधीन है तो भी अपील के विचाराधीन रहते तहसीलदार को नामांतकरण की कार्यवाही स्थगित रखनी चाहिये थी । तहसीलदार ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने उक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर नामांतकरण संख्या 435 को अपास्त किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पो0 की बहस पर मनन किया । अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलबध नामांतकरण संख्या 435 दिनांक 11.5.2009 के अवलोकन से स्पष्ट है तहसीलदार, टोडारायसिंह ने उक्त नामांतकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.7.2008 की पालना में संस्थित किया है। उक्त नामांतकरण आदेश के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने तहसीलदार, टोडारायसिंह द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 435 को अपास्त किया है कि तहसीलदार द्वारा उक्त नामांतकरण उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.7.2008 के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां दायर अपील में स्थगन आदेश होने तथा अपील के विचाराधीन रहते पारित किया गया है । यद्यपि नामांतकरण संख्या 435 न्यायालय की डिक्री की पालना में संस्थित किये जाने से विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत अपील भी संधारण योग्य नहीं थी । राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 (1) (F) सपठित धारा 135 के अधीन भू–अभिलेख से संबंधित मामलों में भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा दी गई मूल आज्ञा के विरूद्ध न्यायालय हाजा को अपील सुनने का क्षैत्राधिकार है जबकि विवादित नामांतकरण सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का Extension व Execution है एवं ऐसे मूल आदेश की अपील सुनने का क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होने से सक्षम न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है । प्रकरण में दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के न्यायालय के न्यायालय प्रस्तुत अपील के निर्णय दिनांक 27.11.2017 की

प्रति प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज हो चुकी है, अतः नामांतकरण संख्या 435 पुनः बहाल किया जावे । इस संबंध में न्यायालय हाजा का मत है कि अपीलांट भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के न्यायालय में अंतर्गत धारा 223 अपील संख्या 248/2008 में पारित आदेश दिनांक 27.11.2017 एवं उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.7.2008 के क्रम में नामांतकरण की कार्यवाही करने को स्वतंत्र है । अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक का निर्णय दिनांक 23.12.2010 क्षैत्राधिकार से परे होने से अपास्त योग्य पाया जाता है । ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 02/2011 (2011/00008) बउनवानी बद्री बनाम नन्दू को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23. 12.2010 को अपास्त किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 25.1.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर